

फा. सं. 1-11 / डीएसडब्ल्यू / 2019-2010 / 2305

अण्डमानतथानिकोबारप्रशासन

समाजकल्याणनिदेशालय

पोर्टब्लेयर, दिनांक 10 जून, 2019

प्रेसविज्ञप्ति

समाज कल्याण विभाग से विभिन्न वित्तीय सहायता अर्थात वृद्धावस्था पेंशन, अशक्तता भत्ता, विधवा पेंशन और निराश्रित भत्ता प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष अपने जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता है। समय पर जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं किए जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आगे का पेंशन जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी लाभार्थियों से अनुरोध किया जाता है कि निर्धारित समय पर उनके मासिक सहायता जारी करने के लिए अपने जीवन प्रमाणपत्र जमा करें। इसके लिए सभी लाभार्थी समाज कल्याण निदेशालय, बाल विकास परियोजना अधिकारियों और मुख्य सेविका के कार्यालयों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30/06/2019 है, ऐसा नहीं किए जाने पर जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने तक उनकी वित्तीय सहायता को लंबित रखा जाएगा।

निदेशक(स.क.)